	सेशन प्रकरण संख्या 72/2017 राज्य / छोटू लाल व अन्य	

31.10.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त मुकेश उपस्थित। अभियुक्त मेहबूब अनुपस्थित। जिसकी हाजिरी माफी का प्रार्थना–पत्र जरिये अधिवक्ता पेश हुआ, जो बाद सुनवाई आज के लिये स्वीकार किया गया। अभियुक्त अमजद मफरूर है। अभियुक्त छोटू लाल द्वारा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समर्पण किया गया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। पत्रावली वर्तमान में बयान मुलजिम के प्रक्रम पर है। अभियुक्त छोटू लाल सर्वप्रथम दिनांक 30.04.2019 को न्यायालय में अनुपस्थित हुआ था एवं उक्त दिनांक को अभियुक्त की इस प्रकरण में जमानत जप्त की गई थी एवं दिनांक 13.02.2025 को अभियुक्त को मफरूर घोषित किया गया है। तब से वह लगातार पत्रावली में अनुपस्थित चल रहा है। तत्समय् पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर लम्बित थी एवं गवाह पी.डब्ल्यू. 1 के अतिरिक्त सभी गवाह अभियुक्त छोटू लाल की अनुपस्थिति में परीक्षित हुए हैं। इस स्तर पर अभियोजन अधिकारी को छोटू लाल के सन्दर्भ में पुनः साक्ष्य पेश करने बाबत् पूछा गया तो नये सिरे से कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा एवं पूर्व में दर्ज की गई मुख्य परीक्षा को ही अभियुक्त छोटू लाल के विरुद्ध पढ़े जाने का निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अभियुक्त छोटू लाल द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई एवं अनुपस्थिति में परीक्षित गवाहान से कोई जिरह भी नये सिरे से नहीं करना चाहा एवं अन्य अभियुक्तगण की ओर से की गई जिरह को ही अपनी ओर से पढ़े जाने का निवेदन किया।दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए अभियुक्त छोटू लाल के विरुद्ध भी उसकी अनुपस्थिति में परीक्षित गवाहान की साक्ष्य को ही पढ़ा जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली वास्ते बयान मुलजिम दिनांक 03.11.2025 को पेश हो। तब तक अभियुक्त छोटू लाल की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ायी जाती है। अपर सेशन न्यायाधीश क्रम सं०2, बून्दी (राज०)	मुकेश नये तरीके से ... जिरह नहीं करना चाहते हैं। छोटू